

प्रेषक,

राम नेवास,
विशेष सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
30प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 20 दिसम्बर, 2017

विषय: शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5699/76/एक/एबीएमबीवीवाई/2016-17, दिनांक 23 मार्च, 2017 एवं नगर आयुक्त/परियोजना निदेशक, इडा, गोरखपुर के पत्र संख्या-36/इडा/2017-18, दिनांक 24.06.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना" योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद-गोरखपुर की नगर निगम, गोरखपुर की विभिन्न मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 26 परियोजनाओं हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से शासनादेश संख्या-723/2016/2292/69-1-16-75(मोबो-83)/2016 दिनांक 18 नवम्बर, 2016 द्वारा ₹0 398.87 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹0 199.435 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में अर्चमुक्त की गयी थी। अतएव उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि ₹0 199.435 लाख (रुपये एक करोड़ निन्यानवे लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0 एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
3. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
5. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
7. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।


संलग्नक: यथोक्त।

भवदीये,

(राम नवास)
विशेष सचिव।

संख्या-147/2017/994(1)/69-1-2017 तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गोरखपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-149/2017/994/69-1-2017-75(म0ब0-83)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1	गोरखपुर	न०नि० गोरखपुर	वार्ड सं० 09 चरगावां के मो० करीमनगर में दुलारे हरिजन के अदावती हरिजन के मकान होते हुये अमीर खॉन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.16	6.58
2	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 09 चरगावां के मो० हमीदपुर में शम्भू यादव के मकान से तिनही टोला (हरिजन बस्ती) तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	36.78	18.39
3	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में पिच रोड से सुधीर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	30.32	15.16
4	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में छेदी पासवान के घर से भुल्ली के घर तक एवं राम नवल के घर से अमरजीत के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.14	7.57
5	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में इण्टरलाकिंग रोड से रामकरन के घर होते हुये कर्तार के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.69	3.345
6	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में मेन रोड से संजय, यिनोद, व्यास के घर होते हुये मोहन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.29	11.645
7	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में दुर्गावती के घर से लखपति देवी, संतोष, राहुन के घर होते हुये पिच रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	37.29	18.645
8	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में जोखन के घर से श्यामलाल के घर होते हुये दुर्गेश के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.85	13.425
9	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में श्यामलाल के घर से लल्लन शॉकत अली, रामशंकर व राजेन्द्र के घर होते हुये लल्लन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.45	8.225
10	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में एस०एन० राय के घर से राधेश्याम, निक्कू व बहादुर के घर होते हुये रामकेश के घर तक एवं मुमताज अली के घर से रामकिशुन, आलोक के घर होते हुए रीता के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	33.66	16.83
11	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में मुस्तकीम के घर से रमजान एवं मंजुर अली के घर होते हुये रहमु के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.64	2.32
12	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में हमीद के घर से काली मन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.88	1.44
13	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में लियाकत अली	2.35	1.175



-21

			के घर से सुभान अली के घर एवं कुर्बान के घर से इरफान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
14	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में पिच रोड से हरि प्रकाश, राम आशीष, पूनम एवं श्री कृष्णा राम के घर होते हुये राम दयाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	48.11	24.055
15	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में इसहाक अली के घर से मुस्तफा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.80	1.90
16	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में रमाशकर के घर से मो० सलीम के घर होते हुये मेहदी हसन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.66	1.83
17	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 18 इंजीनियरिंग कालेज में खुशीद आलम के घर से जिलाई के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	3.19	1.595
18	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 01 महादेव झारखण्डी टु०नं०-1 में सी०सी० रोड से बलिहारी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.75	3.375
19	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 01 महादेव झारखण्डी टु०नं०-1 में रामसेवक के घर से सीताराम, रम्भा एवं सीमा के घर होते हुये राम सागर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	35.12	17.56
20	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 01 महादेव झारखण्डी टु०नं०-1 में पारस के घर से अशोक के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.77	2.385
21	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 01 महादेव झारखण्डी टु०नं०-1 में गामा प्रसाद के घर से मनोज के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.13	1.565
22	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 01 महादेव झारखण्डी टु०नं०-1 में अशोक के घर से टिकोरी प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.57	1.785
23	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 01 महादेव झारखण्डी टु०नं०-1 में राजू के घर से प्रभा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.17	2.585
24	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 01 महादेव झारखण्डी टु०नं०-1 में पिच रोड से मुदामा के घर होते हुये जितेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.74	7.87
25	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 01 महादेव झारखण्डी टु०नं०-1 में श्री कान्त के घर से वृद्धी निषाद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.86	0.93
26	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 01 महादेव झारखण्डी टु०नं०-1 में अनिल कुमार के घर से कैलाश के घर तक एवं संतोष के घर से हीरा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.50	7.25
योग				398.87	199.435

(रूपये एक करोड़ निन्यानवे लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ मात्र)

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)

अनु सचिव।